B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

Department of History

Topic : Simon Commission (PPT)

B.A. Part-3

Prepared by : Sri Pinku kumar

Asst. Professor (Dept. of History)

B.N. College Bhagalpur

Contact (whatsApp) no- 7982166260

Email id- kpinku348@gmail.com

साइमन आयोग

पृष्ठभूमि

- साइमन आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष उपरांत उसके व्यवहारिक पक्ष की जांच करने के लिए सरकार एक राजकीय आयोग (रॉयल कमीशन) की नियुक्ति करेगी परंतु सरकार ने इस अवधि के समाप्त होने के 2 वर्ष पूर्व ही अर्थात 1927 में ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन अर्थात आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी।
- इस कमीशन के सातों सदस्य अंग्रेज ही थे। इस कमीशन को सरकार के द्वारा यह काम सौंपा गया कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किये गये कार्यों की समीक्षा करें एवं तत्वसंबंधी तथ्यों की जांच करें तथा इस बात की रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उत्तरदायी शासन का सिद्धांत लागू करना उचित है अथवा नहीं, यदि है तो किस स्तर तक?
- अभी तक उत्तरदायी शासन जिस मात्रा में स्थापित किया गया था उसमें वृद्धि अथवा कमी की जाए अथवा अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए। इन प्रश्नों के साथ ही इस बात पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि प्रांतों में दो-दो परिषदों की स्थापना करना वांछनीय है अथवा नहीं?

पृष्ठभूमि-1

- साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत के लिए अपमानजनक थी। कमीशन के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसमें ब्रिटेन के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों 'कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर' के प्रतिनिधि रखे गये, परंतु किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह प्रजातीय विभेद का एक जीता-जागता उदाहरण था।
- कमीशन में भारतीयों को ना लेने का कारण ये भी बताया गया था कि चूंकि उसे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देनी है, इसलिए उसमें केवल ब्रिटिश संसद के ही सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। किन्तु सरकार का यह स्पष्टीकरण एक भुलावा था, क्योंकि इस समय दो भारतीय लॉर्ड सिन्हा और मि. सकलातवाला भी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। कांग्रेस तथा सभी राजनीतिक दलों ने कमीशन की नियुक्ति को घोर अपमान समझा।

साइमन आयोग का विरोध

- कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और लिबरल फेडरेशन ने एक स्वर से कमीशन का विरोध किया। केवल सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने कमीशन का स्वागत करने का निश्चय किया। यह कमीशन 3 पफरवरी, 1928 को बम्बई पहुंचा। इसी दिन सम्पूर्ण भारत में हड़ताल रखते हुए कमीशन के बहिष्कार की शुरुआत हुई। स्थान-स्थान पर काले झण्डों व 'साइमन वापस जाओ' के नारों से कमीशन का विरोध किया गया।

साइमन आयोग का विरोध-1

- अनेक स्थानों पर पुलिस तथा जनता के मध्य संघर्ष भी हुए। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियों और डण्डों की भीषण वर्षा की गयी, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गयी।
- इस घटना से कमीशन के प्रति और अधिक विरोध प्रदर्शित किया गया तथा बंगाल व पंजाब में इससे क्रांतिकारी कार्यों को प्रोत्साहन मिला। भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने भारतीय भावनाओं को प्रकट करने के लिए केन्द्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंका और लाला लाजपत राय पर लाठी प्रहार के लिए उत्तरदायी मि. सॉन्डर्स की लाहौर में हत्या कर दी गयी।
- केन्द्रीय विधानसभा ने भी कमीशन का स्वागत करने से मना कर दिया। पटना, कलकत्ता, मद्रास और अन्य जगहों पर साइमन विरोधी नारे लगाये गये। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किये और हरेक प्रकार से इसे दबाने की कोशिश की परन्तु असफलता ही हाथ लगी।

साइमन आयोग की सिफारिशें

- साइमन कमीशन ने 27 मई, 1930 ई. को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। साइमन आयोग के रिपोर्ट में मांटेग्यू घोषणा को पुनः दोहराया गया कि भारत को क्रमशः स्वायत्त शासन सौंपा जाएगा। जिसके विकास क्रम तथा काल का निश्चय एवं निर्णय स्वयं ब्रिटिश संसद ही करेगी। कुछ अर्थों में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार से यह घोषणा अधिक प्रगतिशील थी। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में देशी राज्यों के एक सदन के निर्माण का सुझाव प्रस्तावित किया गया था, किंतु उसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के पारस्परिक संबंधों के विषय में कोई प्रकाश नहीं डाला गया था। साइमन कमीशन में संपूर्ण भारत को अखंड मानकर विचार किया गया था। साइमन कमीशन की सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं-
- द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वराज्य का प्रारंभ-1919 के अधिनियम के द्वारा जिस द्वैध शासन को शुरू किया गया था वह अनेक दोषों से परिपूर्ण होने के कारण सफल नहीं हो सका। अतः इस आयोग ने सिफारिश की कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। समस्त प्रांतीय शासन उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया जाए, लेकिन इसमें यह भी सिफारिश की गई कि गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार दिए जाएं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नर को रक्षा कवच और अभिरक्षण से सुशोभित किया गया। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि प्रांतों पर गवर्नर जनरल का बाह्य नियंत्रण बना रहे। आंतरिक मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप कम से कम हो।

साइमन आयोग की सिफारिशें-1

- मताधिकार का विस्तार- 1926 ई. में भारत की कुल 2 से 8% आबादी को ही मताधिकार प्राप्त था। अतः आयोग ने सिफारिश की कि मताधिकार का विस्तार होना चाहिए और कम से कम 10% को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बालिग मताधिकार को अव्यावहारिक माना गया। आयोग ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी पूर्ववत जारी रखने की सिफारिश की।
- केंद्रीय शासन व्यवस्था में अनुत्तरदायी शासन- आयोग ने केंद्र में उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि केंद्र में द्वैध शासन को भी अवांछनीय बनाकर कमीशन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की सिफारिश की। परंतु कमीशन ने इतना अवश्य कहा कि रक्षा के प्रश्न के संतोषजनक रूप से हल हो जाने के बाद केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सकती है।
- संघीय शासन की स्थापना- कमीशन ने तत्कालीन एकात्मक सरकार को भारत के लिए अनुपयुक्त बताया और संघीय शासन व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की। इस संघ में भारत के प्रत्येक राज्य और देशी राज्यों को सम्मिलित करने की व्यवस्था थी। इस आयोग ने यह भी सुझाव रखा कि बर्मा को भारत से और सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता से वंचित रखा जाए।

साइमन आयोग की सिफारिशें-2

- प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार-साइमन आयोग की यह भी सिफारिश थी कि प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया जाए। महत्वपूर्ण प्रांतों के विधान मंडलों में 200 से लेकर 250 तक सदस्यों को शामिल किया जाए। प्रांतीय विधान मंडलों को सरकारी सदस्यों से मुक्त रखा जाए। नामजद गैर सरकारी सदस्यों की संख्या विधान मंडल की समस्त संख्या के दसवें भाग से अधिक नहीं हो। मुसलमान बहुल वाले प्रांतों में विधानमंडल के अंतर्गत मुसलमानों के विशेष प्रतिनिधित्व की भी सिफारिश की गई।
- केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन-आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि संघीय आधार पर केंद्रीय विधानमंडल को फिर से संगठित किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में भावी संघ में सम्मिलित होने वाले प्रांतों के प्रतिनिधियों को स्थान मिले तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि उस समय सम्मिलित किए जाएं जब वे संघ में सम्मिलित होने को तैयार हों। केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की सिफारिश की गयी।

साइमन आयोग की सिफारिशें-3

- बृहतर भारत परिषद की स्थापना-देशी राज्यों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक वृहत्तर भारत परिषद की योजना की सिफारिश की गई। इस परिषद के द्वारा वे अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते थे।
- सेना का भारतीयकरण-आयोग द्वारा सेना के भारतीयकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया परंतु रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब तक भारत अपनी रक्षा के लिए स्वयं पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी सेनाओं को भारत में रखना आवश्यक है। नागरिक और पुलिस सेवाओं की भर्ती की पद्धति भी पहले की तरह ही कायम रही।
- नया संविधान- इस आयोग की रिपोर्ट में इस बात की भी सिफारिश की गई कि हर 10 वर्ष के बाद भारत के संवैधानिक प्रगति की जांच पड़ताल की पद्धति को छोड़ दिया जाए और भारत का नया संविधान बनाया जाए। भारत का संविधान इस लचीलेपन से तैयार किया जाए कि यह स्वयं विकसित हो सके।

निष्कर्ष

- आयोग की सिफारिशों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह रिपोर्ट वास्तव में 1919 के सुधार अधिनियम से एक कदम आगे थी,क्योंकि इसमें 1919 के अधिनियम के सबसे बड़े 'द्वैध शासन' को समाप्त कर देने की सिफारिश थी। प्रांतीय स्वराज्य को आरंभ करने की सिफारिश इसकी सबसे बड़ी विशेषता कही जाएगी। प्रांतीय विधान मंडल का विस्तार तथा मताधिकार के विस्तार की सिफारिश करके 1919 के अधिनियम के दोषों को दूर करने की सिफारिश की गई थी।
- परंतु साइमन आयोग की रिपोर्ट पर गहन अध्ययन तथा सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद यह कहा जा सकता है कि इसमें अनेक कमियां थी जैसे इसमें भारतीयों की औपनिवेशिक राज्य की मांग की पूर्णतया उपेक्षा की गई, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया तथा प्रांतों में गवर्नर को विशेषाधिकार प्रदान करके लोकप्रिय और उत्तरदायी मंत्रिमंडल का कोई मूल्य नहीं रखा गया। वास्तव में गवर्नर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध आचरण कर सकता था।